भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 143
दिनांक 04 दिसंबर, 2023

कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाना

143 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डीः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कच्चे तेल के अटके पड़े घरेलू उत्पादन और देश में पेट्रोलियम उत्पादों की लगातार बढ़ती मांग से निपटने हेतु विशिष्ट उपाय हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) आत्मनिर्भरता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से क्या सरकार की कच्चे तेल के घरेलू अन्वेषण और उत्पादन को प्रोत्साहन देने और उसे बढ़ावा देने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ख) घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अनेक दीर्घकालिक और अल्पकालिक नीतिगत पहलें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

1.दीर्घकालिक नीतिगत पहलें:

I खोजे गए लघु क्षेत्र संबंधी नीति, 2015

ii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, 2016

iii उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं की अवधि बढ़ाए जाने के लिए नीति, 2016 और 2017

vi. कोल बेड मिथेन के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए नीति, 2017

v. नेशनल डेटा रिपोज़िटरी की स्थापना, 2017

vi. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम के तहत तलछटीय बेसिनों में गैर मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन, 2017

vii. हाइड्रोकार्बन संसाधनों का पुन: आकलन, 2017

Viii तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने संबंधी नीति, 2018

ix कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को आबंटित कोयला खनन पट्टा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा, 2018

x. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससीज), कोल बेड मिथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों के तहत गैर-पारंपरिक हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा 2018

xi तेल और गैस का घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंस नीति में सुधार, 2019

2. अल्पकालिक और मध्यकालिक नीतिगत पहलें:

i. मौजूदा खोजों का शीघ्र मौद्रीकरण।

ii. उन्नत तेल निकासी (आईओआर) तथा वर्धित तेल निकासी (ईओआर) तकनीकों के कार्यान्वयन द्वारा निकासी में सुधार।

iii. रुग्ण कूपों का पुनरुद्धार।

iv. सुविधाओं और अन्य बुनियादी सुविधाओं का नवीकरण।

v. सेवा संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से अभितट में छोटी और सीमांत खोजों का मौद्रीकरण।

vi. मौजूदा परिपक्व क्षेत्रों का पुनर्विकास और नए क्षेत्रों/सीमांत क्षेत्रों का विकास।

vii. चुनिंदा क्षेत्रों के संबंध में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को शामिल करना।

(ग) से (घ) भारत सरकार ने उत्पादन हिस्सेदारी व्यवस्था के स्थान पर राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था को अपनाते हुए भारतीय अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्वेषण रकबे प्रदान करने के लिए दिनांक 30 मार्च, 2016 को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति को अधिसूचित किया है। इस नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 28 फरवरी, 2019 को नीतिगत सुधारों अर्थात अप्रत्याशित लाभ को छोड़कर श्रेणी-2 और 3 प्रकार के बेसिनों से राजस्व हिस्से को हटाना, गहरे तथा अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए 7 वर्ष रायल्टी का भुगतान नहीं करने की छूट, रियायती रायल्टी दरें - गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए 3.5 प्रतिशत तथा अत्यधिक गहरे समुद्री ब्लॉकों के लिए 1.4 प्रतिशत आदि को भी अधिसूचित किया है। वर्ष 2017 से अब तक 7 खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) दौर सफलतापूर्वक संप किए गए जिनमें अन्वेषण और उत्पादन कार्य कलापों के लिए 2,07,691 वर्ग कि.मी. को कवर करते हुए 134 अन्वेषण ब्लॉक प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र के कार्यकलापों के लिए 99% नो-गो क्षेत्र खोले गए थे। इसके अतिरि , अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र के कार्यकलापों के लिए 99 प्रतिशत नो-गो क्षेत्र खोले गए थे। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी सहित क्षेत्रों के शीघ्र मौद्रीकरण के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में कारोबार में आसानी के विजन के अनुरूप अनेक कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ ऑनलाइन ऊर्जा प्रगति प्लेटफार्म के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक शीघ्रता से मंजूरियां प्रदान करना, अनुमोदनों की संख्या कम करने के लिए स्व-प्रमाणन के माध्यम से अपेक्षाकृत अधिक आसान अनुपालना, अपस्ट्रीम इंडिया पोर्टल के माध्यम से जीआईएस आधारित निगरानी तथा अपेक्षाकृत अधिक सहयोग के लिए ऊर्जा सुरक्षा समन्वय आदि शामिल हैं।
